संख्या-57/2022/877/26-3-2022

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक 11 मई 2022

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत संचालित अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता (जिला योजना) में लेखानुदान के रूप में आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष प्रथम चार माह हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-72/स0क0/विकास/अनु0जा0 शादी-बजट/2022-23, दिनांक-27.04.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022,दिनांक 30.12.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्षक-2225-01-789-07-अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता (जिला योजना)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में **प्राविधानित धनराशि रू0-10000.00 लाख (रू0-एक अरब मात्र) के सापेक्ष लेखानुदान के रूप में प्रथम चार माह हेतु धनराशि रू0-3333.33 (रू0-तैतीस करोड तैतीस लाख तैतीस हजार मात्र)** की स्वीकृति निम्न विवरण के अनुसार अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	**मानद मद**	**वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक प्राविधान**	**वित्तीय वर्ष 2022-23 में लेखानुदान के रूप में प्रथम चार माह हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति**
1	2225-अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों का कल्याण 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-07-अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता (जिला योजना)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	10000.00	3333.33
योग-		**10000.00**	**3333.33**

(रू0-तैतीस करोड तैतीस लाख तैतीस हजार मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2022-23 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022,दिनांक 30.12.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/ स्वीकृत/ अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

2- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022,दिनांक 30.12.2021 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

पृ0संख्या-57 /2022/877(1)/26-3-2022-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2-प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज ।
3-मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
4-वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5-निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
6-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
7-गार्डफाइल।

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in